कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–1612 /14–1, (कैम्प चन्दौसी) दिनांक 19-4-2015

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :– जनपद सम्भल के अन्तर्गत प्रान्तीय राजमार्ग सं0–51 बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग पर विश्व बैंक पोषित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु किमी0 58.500 से किमी0 107.00 तक 38.8 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, 96 एम0जी0 मार्ग लखनऊ का पत्रांक–360/1–16/यू0पी0सी0आर0एन0 डी0पी0/सी0ई0डब्ल्यू0बी0/2015 दिनांक 18.03.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध करना है कि मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, 96 एम0जी0 मार्ग लखनऊ ने अपने पत्रांक–360/1–16/यू0पी0सी0आर0एन0 डी0पी0/सी0ई0डब्ल्यू0बी0/2015 दिनांक 18.03.2015 से जनपद सम्भल के अन्तर्गत प्रान्तीय राजमार्ग सं0–51 बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग पर विश्व बैंक पोषित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु किमी0 58.500 से किमी0 107.00 तक 38.8 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव 05 प्रतियों में बेवसाईट पर अपलोड करने के उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में निम्न प्रकार संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण व बाधक वृक्षों का पातन निहित हैः–

1. किमी0 58.500 से किमी0 107.00 तक दोनों पटरियों पर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 38.8है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना, (प्रस्ताव में संलग्न है।)
2. किमी0 58.500 से किमी0 107.00 तक दोनों पटरियों पर विभिन्न व्यास वर्ग व विभिन्न प्रजातियों के कुल 7789 बाधक वृक्षों का पातन किया जाना, (प्रस्ताव में संलग्न है।)
3. किमी0 58.500 से किमी0 107.00 तक दोनों पटरियों पर विगत वर्षो में कराये गये वृक्षारोपणों में रोपित विभिन्न प्रजातियों के 28151 पौधें/वृक्ष जो 0–1 व्यास वर्ग के अन्तर्गत आते है, चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित/नष्ट होगें। इसके अतिरिक्त 919 आर0सी0सी0 पिलर मय तारबाड़ भी प्रभावित/नष्ट होगें, (प्रस्ताव में संलग्न है।)

उक्त विषयक संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जांचोंपरान्त प्रभाग द्वारा बेवसाईट पर अपलोड करने के उपरान्त 04 प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये, उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (मार्ग) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, 96 एम0जी0 मार्ग लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप प्रकरण में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करे।
4. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक, खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप प्रकरण में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करे।
5. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सम्भल व चन्दौसी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।